भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: *183
31 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

अहिल्यानगर में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता

***183. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे:**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के शिरडी संसदीय क्षेत्र में प्रतिदिन देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं जिसके कारण इस क्षेत्र में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता होती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त क्षेत्र में उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं और सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं और नागरिकों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मुंबई, पुणे या औरंगाबाद जैसे शहरों पर निर्भर रहना पड़ता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त क्षेत्र में एम्स की तर्ज पर एम्स अथवा उच्च स्तरीय सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल और चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार की भावी योजना, यदि कोई हो, क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (घ): विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 31 जुलाई, 2026 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.183 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): 'जन स्वास्थ्य' और 'अस्पताल' राज्य के विषय हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत प्राप्त कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के प्रस्तावों के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मानदंडों एवं उपलब्ध संसाधनों की सीमा के अनुसार प्रस्तावों को कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में स्वीकृति दी जाती है।

हेल्थ डायनामिक्स ऑफ इंडिया (एचडीआई) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किए गए स्वास्थ्य परिचर्या प्रशासनिक आंकड़ों पर आधारित एक वार्षिक प्रकाशन है। महाराष्ट्र सहित, देश भर में, जिला-वार स्वास्थ्य अवसंरचना की उपलब्धता, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), उप-स्वास्थ्य केंद्र (एसएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), उप-मंडल अस्पताल (एसडीएच) और जिला अस्पताल (डीएच) तथा अन्य स्वास्थ्य इकाईयां शामिल हैं, का विवरण एचडीआई 2023-24 के निम्नलिखित लिंक पर एचएमआईएस पोर्टल के अंतर्गत 'प्रकाशन' (Publications) में देखा जा सकता है:

https://hmis.mohfw.gov.in

1.86 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम), जिनमें महाराष्ट्र में 13,457 और अहिल्यानगर जिले में 369 एएएम शामिल हैं, के माध्यम से उप-स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को सुदृढ़ करके व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाती है। इन एएएम को प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाएँ, गैर-संचारी रोग, संचारी रोग, वृद्धजन और उपशामक परिचर्या, मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या, मुख- स्वास्थ्य, नेत्र एवं ईएनटी परिचर्या और बुनियादी आपातकालीन परिचर्या सहित सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला द्वारा निवारक, प्रोत्साहक, पुनर्वास संबंधी और उपचारात्मक देखभाल प्रदान करनी होती है।

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-अभिम) एक प्रायोजित योजना (सीएसएस) है, जिसमें कुछ केंद्रीय क्षेत्र (सीएस) घटक शामिल हैं, जिसे स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी, जन स्वास्थ्य कार्यों और स्वास्थ्य अनुसंधान को एकीकृत करने वाले सुधारों के माध्यम से भारत की जन स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए कार्यान्वित किया गया है, जिससे महामारियों और अन्य जन स्वास्थ्य आपात स्थितियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए जन स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमता बढ़ती है। वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 में महाराष्ट्र राज्य के लिए पीएम-अभिम के तहत कुल 1,195.14 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। इस राज्य को ₹1086.44 करोड़ कुल का 36 एकीकृत जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (आईपीएचएल) और 36

क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉकों (सीसीबी) के लिए भी अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसमें अहिल्यानगर जिले में 1 आईपीएचएल और 1 सीसीबी शामिल है।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत 22 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों (एम्स) की स्थापना को मंजूरी दी गई है, जिसमें महाराष्ट्र के नागपुर में एक एम्स भी शामिल है, जो कार्यशील है। इसके अलावा, महाराष्ट्र में विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केंद्रों के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए, पीएमएसएसवाई के एक अन्य घटक के तहत छह (06) सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों- (i) ग्रांट मेडिकल कॉलेज एवं सर जे.जे. ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, मुंबई (ii) सरकारी मेडिकल कॉलेज, नागपुर (iii) सरकारी मेडिकल कॉलेज, औरंगाबाद (iv) सरकारी मेडिकल कॉलेज, लातूर (v) सरकारी मेडिकल कॉलेज, अकोला (vi) श्री वसंतराव नाइक सरकारी मेडिकल कॉलेज, यवतमाल का केंद्र-राज्य लागत-हिस्सेदारी के आधार पर सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकों (एसएसबी) के निर्माण को मंजूरी दे कर उन्नयन किया गया है:

केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) 'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से सहबद्ध नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना' के अंतर्गत स्वीकृत 157 चिकित्सा महाविद्यालयों में से महाराष्ट्र के गोंदिया और नंदुरबार जिलों में 02 चिकित्सा महाविद्यालयों को मंजूरी दी गई है और वे कार्यशील हैं।
